उर्वरक उद्योग को राज-सहायता

*230. श्री भीम सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग को सरकार राज-सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इस उद्योग को कितनी राज-सहायता दी गई है; और

(ग) क्या इस उद्योग को सरकार द्वारा राज-सहायता देना बन्द कर देने की स्थिति में उर्वरकों की दरें बढ़ जाने की संभावना है ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) Government is operating a scheme of retention price in respect of those fertilizers whose selling prices are under statutory control. If the net realisation on the sale of these fertilizers falls short of the fair retention price fixed by the Government, the difference is paid as subsidy to the manufacturers.

(b) The amount of subsidy paid on indigenous fertilizers is as follows:—

1980-81 : Rupees 170 crores
1981-82 : Rupees 275 crores
1982-83 : Rupees 550 crores. (Anticipated)

(c) With the prices being controlled at the present level, the stoppage of subsidy would result in heavy losses to the manufacturers.

श्री भीम सिंह : जैसा सरकार ने उत्तर दिया कि फर्टिलाइजर की प्राइस रिटेन करने के लिए हम सबसीडी देते जा रहे हैं। सबसीडी का फिगर हर साल बढ़ता गया है। 1980–81 में यह 170 करोड़ रुपये था, 1981–82 में 275 करोड़ हो गया और 1982–83 में यह 550 करोड़ हो गया। इस सबसीडी के साथ ही साथ यूरिया की प्राइस 72 से 125 रुपये हो गयी और सिंगिल सुपर फास्फेट की 35 रुपये से 50 रुपये हो गई। इस तरह से मैन्यूफैक्चरर सरकार के खजाने से भी रुपया खींच रहा है और काश्तकार की पाकेट से भी खींच रहा है।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस सबसीडी के लिये यह भी दृष्टिकोण अपनायेंगे कि काश्तकार को भी सरकार की सबसीडी से कुछ राहत मिले और फर्टिलाइजर की कीमतें नीचे लायें। क्या सरकार मैन्यफैक्चरर को ही फायदा पहुंचाना चाहती है या काश्तकार को भी कुछ लाभ देना चाहती है ?

श्री वसन्त साठे : मैं माननीय सदन को और सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकारी मूल्य नीति का उद्देश्य यह है कि किसान को भी कुछ स्थिर कीमतें मिलें, और उत्पादन भी देश में फर्टीलाइजस का बढ़ता रहे। फर्टीलाइजर्स, जिसमें यूरिया का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, इसकी कीमत 8–6–80 के पहले 1450 रुपये प्रति टन थी जोकि 11–7–81 से 2350 रुपये प्रति टन हो गई यानी यह तकरीबन . .

एक माननीय सदस्य : डबल हो गयी

श्री वसंत साठे : चलो डबल ही समझ लो यानी 100 परसेंट बढ़ी। अब उत्पादन का खर्चा है, जिसमें जो मूल चीज है और जो बहुत आवश्यक है, वह नैप्था है। उसकी कीमत 756 रुपये प्रति टन थी जो बढ़ कर 1931 रुपये हो गयी . . . . . (व्यवधान) . . . . यह गणित है आपका। 756 से 1931 रुपये हो गई; तो यह भी डबल हो गई।

यूरिया में सबसे ज्यादा उपयोग गैस का होता है और गैस की कीमत 133 रू० प्रति हजार क्यूबिक मीटर से बढ़कर 1566 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर हो गई है यानी यह करीबन 10 गुणा बढ़ गयी। ....(व्यवधान).... जरा सुन लीजिए हम यह चाहते हैं कि किसानों के लिए यूरिया मंहगा न हो। आप भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। ....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। सवाल का जवाब देने दीजिए।

He is trying to explain.

श्री जगपाल सिंह : क्वेश्चन सीधा है कि जिस परसेन्टेज से आप कारखानों को सब्सीडी देते हैं क्या उसी परसेन्टेज से आप किसानों को खाद में सब्सीडी देंगे या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : सब्सीडी कैसे मिलती है, यह आपको मालूम नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : खाद सस्ता करके देंगे या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सुनना चाहते हैं या नहीं आप चिल्लाएंगे, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप उत्तर दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

श्री वसन्त साठे : तो फिर चुपचाप रहिये।

अध्यक्ष महोदय : ये चुपचाप रहेंगे और आप उत्तर देंगे, तो फिर ये क्या करेंगे।

श्री वसंत साठे : सब्सीडी का प्रंसिपिल क्या है। प्रेक्टिस क्या है, वह मैं बता रहा हूं। पहले एक दाम तय करते हैं कि इससे ज्यादा महंगा यूरिया किसानों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उससे किसानों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय कर लेती है कि किसानों को इस प्राइस से ज्यादा यूरिया नहीं मिलना चाहिए। यह एक बार तय हुआ। उसके बाद कास्ट आफ़ प्रोडक्शन पर आते हैं। अब कोई धंधा करने वाला या कोई कारखाना दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि अगर कास्ट आफ़ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उससे सस्ते में वह अपना माल बेचे। वह बेच नहीं सकता। कास्ट आफ़ प्रोडक्शन यदि 3500 प्रति टन है और यह दाम एक बार तय हो गया और मिनीमम पोस्ट टैक्स प्रोफिट किसी भी उद्योग में तय कर लेते हैं कि 12 परसेन्ट मिले, तो इसे कहते हैं

retention price, which is the subsidy to the manufacturer.

इसमें कस्ट आफ़ प्रोडक्शन ज्यादा भी रहे, तो उस को उससे ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिए सही माइनों में यह सब्सीडी जिस दिन आप बन्द कर देंगे, तो फिर यह कहा जाएगा कि ला आफ़ डिमांड एण्ड सप्लाई के मुताबिक दाम फिक्स कीजिए तो किसानों के लिए यूरिया बहुत महंगा हो जाएगा, चार हजार रुपये टन से भी दाम ऊपर चला जाएगा जिसको कि किसान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इससे अन्न का उत्पादन भी घट जाएगा। इसलिए यह सब्सीडी ज़रूरी है। इस सब्सीडी से अल्टीमेटली लाभ किसान का ही होता है। अब मेन्युफेक्चर को भी आपको चलाये रखना है या नहीं। इसलिए दोनों में बेलेंस रखना है। जिससे उत्पादन भी बढ़े और किसान को भी नुकसान न हो। यह सब्सीडी की बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्या कर रहे हैं ?

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है । जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा है—

"If the net realization on the sale of these fertilizers falls short of the retention price fixed by the Government, the difference is paid as subsidy to the manufactures."

आपने यह 550 करोड़ रुपये और घटा दिया और मन्युफेक्चरर को इसकी पूर्ति कर दी । जब उसकी पूर्ति हो गयी तो फिर भी क्या यह वाजिब है कि मेन्युफेक्चरर 72 रुपये से 175 रुपये तक यूरिया के दाम बढ़ाता ही रहे ? जब आपने उसकी पूर्ति कर दी तो फिर भी जो प्राइस बढ़ रही है या मेन्युफेक्चरर बढ़ा रहा है, उसको तो आप रोकिये । क्या आप सब्सीडी देकर के यह व्यवस्था करेंगे कि काश्तकार के लिए भी कीमत नीचे ले आएं जिससे कि उसे कुछ राहत दे सकें ? Don't burn the candle on both the sides.

श्री वसन्त साठे : मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिटेन्शन प्राइस से पूरे घाटे की पूर्ति नहीं होती है, उससे तो केवल 12 परसेंट की पूर्ति होती है । 12 परसेंट आफ पोस्ट टेक्स प्राफिट की ही गारन्टी होती है । बाकी का जो नुकसान होता है वह मेन्युफेक्चरर का पूरा नहीं होता है । इसलिए जो सब्सीडी दी जाती है, उसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक बार तय किया जाता है कि किसी सूरत में भी किसान को इस दाम से ज्यादा में नहीं मिलना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री जग पाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौनसा पैमाना तय किया है कि इससे ज्यादा पर किसान को नहीं मिलेगा ? **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : : मैंने बताया कि यूरिया के दाम 2,350 रुपये पर टन 11 मार्च, 1981 के बाद से स्टेबल हैं । यह मैंने आपको पहले ही बता दिया । अब इसमे भी सुधार करना हो तो वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगी, यह मेन्युफैक्चरर नहीं करेगा । इस कीमत को तय करने के बाद फिर वर्क बेक में सब्सीडी तय की जाती है । सब्सीडी इस तरह से दी जाती है जिससे कि उत्पादन भी बना रहे और सब्सीडी देने से नुकसान भी नहीं । सब्सीडी का यह उद्देश्य होता है कि मेन्युफेक्चरर का उत्पादन भी बना रहे और किसान का नुकसान भी न हो ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने यूरिया का भाव 108 रुपये बोरा से घटा कर 70 रुपये किया था । 38 रुपये दाम घटाये थे । आपकी सरकार जो कि किसानों के लिए खून देने वाली सरकार है, जब से वह आयी है तब से भाव बढ़ कर के 125 रुपये बोरा पर चला गया है । आप सब्सीडी देते हैं या नहीं देते हैं, हमे इससे कोई मतलब नहीं है । हमको मतलब है कि किसान को सस्ती दर पर खाद मिले, 70 रुपये की दर से किसान को खाद मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जनता पार्टी की जब सरकार थी तो खाद का दाम घटाया था और खाद का उत्पादन भी घटाया था ? गन्ने के दाम... **(व्यवधान)**

जनता पार्टी के राज में गन्ने जैसी चीज... (व्यवधान) गन्ना जलाया गया । उससे शायद ये खाद बनाने की कोशिश कर रहे थे ।

श्री मधु दण्डवते : 23 प्रतिशत कंजम्शन बढ़ गया था खाद का । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : खाद के लिए काम में आने वाले इनपुट्स की कीमत बढ़ गई है । (व्यवधान)

चिल्लाने से काम नहीं चलेगा (व्यवधान)

आम ताने लगाते हैं, नोक-झोंक करते हैं, लेकिन जब उल्टा पड़ता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं । इस तरह से कैसे काम होगा ? (व्यवधान) 1000 क्यूबिक मीटर गैस की कीमत 133 रुपए जनता पार्टी के राज में थी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है । उनको जवाब देने दीजिए । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यूरिया के उत्पादन के लिए गैस मेन इनपुट है । जब इनको यह चीज मालूम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको जवाब देने दीजिए । इस तरह से तो आप बीच में सब गड़बड़ किए जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्यसाधन जी पहले उनके सवाल का जवाब तो आने दीजिए । आप क्या कर रहे हैं ? उनका जवाब आने दीजिए । उनको कुछ बोलने तो दीजिए । (व्यवधान)

SHRI VASANT SATHE: The price of gas from 1979 when the Janata Party was there has increased from Rs. 133 per thousand cubic metre to Rs. 1,566 per thousand cubic metre in 1982—ten times increase in the input price.

अध्यक्ष महोदय : उनको जबाब तो देने दीजिए । जब इनपुट्स की कीमत बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा ही । पहले जबाब तो देने दीजिए । गलत है तो देखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलत-सही कोई जवाब तो आने दीजिए, बाकी बात तो बाद में देखेंगे । समझ में नहीं आता ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आपने 70 से बढ़ाकर 125 कर दिया ...

MR. SPEAKER: Let him be wrong.

(Interruptions)

आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते तो क्या करूं ?

He is explaining the reasons. You are interrupting him all the time.

आप जवाब ही नहीं आने देते । आप ही बोलते रहिए, उनको जवाब मत देने दीजिए । बड़े शर्म की बात है ।

SHRI VASANT SATHE Whichever government is there there is some such thing as cost. Either you will have to subsidise the farmer or you will have to subsidise the production or you will have to subsidise the production of gas. At some point you will have to subsidise. The effort is to balance the subsidisation so that the producers of foodgrains are not affected and also the production of fertilizer it kept on increasing. This is the balance which is attempted by this subsidy principle.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over.